न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/27/2023

उनवान

1. बजरंगदास पुत्र बद्रीदास बैरागी, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नंदानाथ पुत्र लादुनाथ जोगी, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा
2. अर्जुननाथ पुत्र लादुनाथ जोगी, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा
3. नारायणनाथ पुत्र लादुनाथ जोगी, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा
4. प्रभुनाथ पुत्र लादुनाथ जोगी, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा
5. सांवरनाथ पुत्र लादुनाथ जोगी, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा
6. बालुनाथ पुत्र गणेशनाथ जोगी, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण

7. माधु पुत्र चतरा रेगर, जाति रेगर, निवासी–देवथडी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाडा (डिलिट आदेश 11.2.26)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस/विपक्षीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 91/2019 निर्णय दिनांक 24.12.2019

अभिभाषक : **1. श्री ए आर पठान , अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा
दिनांक 11.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद देवथड़ी पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 365/2 रकना 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 365/4 रकना 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 365/3 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 365 रकबा 17 बिस्वा आराजी नम्बर 365/1 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 369 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित हैं। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है।

2. प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो देवथड़ी से नगपुरा आम रोड जिसके आराजी नम्बर 332 से होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 337,338,339,340,347,341,346,344, 345,366 की दोनो तरफ की मेड़ से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 365, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 369 में आते जाते है, जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

3. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, लेकिन विपक्षीगण की नियत मे फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 20 बीस जून 2019 दो हजार उन्नीस को रास्ते मे अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये।

4. उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

5. उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये है।

6. अतः निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद देवथड़ी पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो देवथड़ी से नगपुरा आम रोड़ जिसके आराजी नम्बर 332 से होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 337,338,339,340,347,341,346,344, 345,366 की दोनो तरफ की मेड़ से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 365, 365/1, 365/2 365/3, 365/4, 369 में आते जाते है, को रास्ता से 15 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थीगण तत्पर है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.12.2019 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एव उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय प्रत्यर्थीगण / प्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व उनकी अनुपस्थिति में तथ्यो का छिपाव कर न्यायालय को मुगालते में रखकर अनियमिता कारित करवा, प्राप्त कर लिया है. जिसकी जानकारी अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण ने दी और कहा कि हमने तुम्हारे विरूद्ध न्यायालय में दावा कर तुम्हारी आराजी में रास्ता कायम करवा लिया है, जिस पर न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत कर नकले दिनांक 27–12–2022 को प्राप्त की, नकल प्राप्त होते ही यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। फिर भी अपील को आदेश दिनांक से प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कण्ड़ोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद माना जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10. अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित नहीं की गई है। अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने का वाजिब एवं युक्तियुक्त कारण है तथा मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित होकर कृषि का है और यदि अपील को मियाद में शुमार नहीं किये जाने की अवस्था में प्रत्यर्थीगण / प्रार्थीगण अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेगे। अतः अपील को मियाद में शुमार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

11. अतः निवेदन है कि अपीलार्थी/विपक्षी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील को आदेश दिनांक से प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जावे।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारण में जो वैधानिक कार्यवाही होती है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत नहीं की गई।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उपरोक्त निर्णय प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध उनकी अनुपस्थिति में तथ्यों को छिपाव कर न्यायालय को मुगालते में रखकर अनियमितता कारित करवा , प्राप्त कर लिया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने दी और कहा कि हमने तुम्हारे विरूद्ध न्यायालय में दावा कर तुम्हारी आराजी में रास्ता कायम करवा लिया है, जिस पर न्याालय में अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकले दिनांक 27.12.2022 को प्राप्त की , तो पता चला कि पत्रावली पर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा कई प्रकार की अनियमितताए कारि तकर न्यायालय से मनमकसूद तरीके से आदेश पारित कर लिया, जहॉ प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का यह कर्तव्य था कि वह न्यायालय में सम्मन तलवाने प्रस्तुत कर अपीलार्थी की विधिवत तामील करवाता व बाद तामील अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिय जाने के पश्चात न्यायालय से आदेश प्राप्त करता, लेकिन पत्रावली का अवलोकन करे तो प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया और सम्पूर्ण पत्रावली पर कहीं पर भी अपीलार्थी उपस्थिति बाबत अंकन नहीं है , फिर न्याालय के निर्णय में कहीं पर भी स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति का अंकन ही रहा है। अपीलार्थी को उपरोक्त मामले में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की सरासर अवहेलना है। बिना सम्यक तामील करवाये किसी भी न्यायिक निर्णय की कोई औचित्यता नहीं होती है। अपीलार्थी पर सम्यक तामील नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नही हो सके और अपना पक्ष भी नहीं रख सका । प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अपीलार्थी को बिना सुने सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करवा, प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का मामला औचित्यहीन तर्कसंगत होने के उपरान्त भी वास्तविक तथ्यों का छिपाव कर प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 7 से मिलाभगती कर अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर लिया है जो निरस्त योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने न्यायालय से ऐसा निर्णय प्राप्त कर लिया, जिसकी कियान्विती भी उचित नहीं है। पत्रावली को देखने से ही यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर तामील के सम्मन न तो बाद तामील व न ही अदम तामील ही मौजूद होकर इस आशय का किसी प्रकार का अंकन है व न ही आदेशिकाओं में अपीलार्थी की एकतरफा कार्यवाही का ही कोई आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इस कारण निर्णय दिनांक 24.12.2019 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजियात की पूर्वतः स्थिति बहाल की जाकर अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु कभी भी अपीलार्थी की आराजी से होकर आवागमन नहीं किया, क्योंकि उक्त जगह कभी भी ककोई रास्ता ही विद्यमान नहीं रहा है और न ही वर्त्तमान में है तथा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने मनमकसूद तरीके से अपीलार्थी की आराजियात में नये सिरे से रास्ता कायम करवाने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिय ही अपीलार्थी की आराजियात में रास्ता नहीं होते हुए भी नये सिरे से अपीलार्थी की आराजी में रास्ता कायम करवाने का प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है, फिर भी न्यायालय ने अपीलार्थी की आराजी में रास्ते का आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रत्यर्थीगण /प्रार्थीगण अपनी आराजी में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

आराजी संख्या 348 व 349 से होकर अपनी आराजी में आते जाते है, लेकिन प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अपीलार्थी की आराजी को खराब करने की गरज से अपीलार्थी की आराजी में रास्ता कायम करवा लिया है, जबकि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण कभी भी अपीलार्थी की आराजी में होकर नहीं गये है और वर्तमान में भी प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण आराजी संख्या 448 व 449 से होकर आ जा रहे है और न ही नक्शे मौके पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है, तथा प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण ने बिना अपीलार्थी को जानकारी दिये ही, उक्त निर्णय प्राप्त कर लिया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मौका रिपोर्ट अपीलार्थी की उपस्थिति में नहीं बनाई जाकर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की कहे अनुसार उसकी उपस्थिति में व प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 7 की आपसी सहमति पटवारी से मिलकर जारी किया गया है तथा मौके पर कोई नजरी नक्शा नहीं बनाया गया, केवल मात्र मौके पर्चे पर सम्झी खातेदार के हस्ताक्षर हैं , उपरोक्त तथ्यों को आधार बनाकर पत्रावली का निर्णय पारित कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में विधिवत रूप से तामील करवाकर अपीलार्थी के पक्ष को जानकर निर्णय पारित करना चाहिये था, जबकि मौके पर्चे के बाबत पटवारी हल्का व प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण व न्यायालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि उक्त मौका अपीलार्थी की उपस्थिति में देखा जाना चाहिये था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमितता कारित करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत एक पक्षीय रूप से अपीलार्थी/विपक्षीगण को सुने बिना दिये गये निर्णय की आड में प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी की आराजियात में नये सिरे से रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलार्थी/विपक्षीगण अपनी आराजियात के उपयोग उपभोग के अधिकारों से वंचित हो जायेगी और अपीलार्थी/विपक्षी की आराजियात का अपखण्ड होकर छोटे टुकडे में रह जायेगी। जिससे वह काश्त करने हेतु उपयोग उपभोग में भी नहीं रहेगी। इस कारण अपने कृषि अधिकारों के

भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हनन को रोकने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाथी नकल प्राप्त करने से अन्दर अवधि पेश है।

18. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 को निरस्त किया जावे।

19. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक नहीं है। जबकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

20. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन हैं कि प्रकरण में पूर्व मे डॉट रास्ता था जो रेकार्डेड नहीं था । वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट की सूचना दी गईं थी लेकिन उपस्थित नहीं हुए। प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है व रास्ता चालू है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

21. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय प्रत्यर्थीगण / प्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व उनकी अनुपस्थिति में तथ्यो का छिपाव कर न्यायालय को मुगालते में रखकर अनियमिता कारित करवा, प्राप्त कर लिया है. जिसकी जानकारी अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण ने दी और कहा कि हमने तुम्हारे विरूद्ध न्यायालय में दावा कर तुम्हारी आराजी में रास्ता कायम करवा लिया है, जिस पर न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत कर नकले दिनांक 27–12–2022 को प्राप्त की, नकल प्राप्त होते ही यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। फिर भी अपील को आदेश दिनांक से प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कण्ड़ोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद माना जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

22. अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित नहीं की गई है। अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वाजिब एवं युक्तियुक्त कारण है तथा मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित होकर कृषि का है और यदि अपील को मियाद में शुमार नहीं किये जाने की अवस्था में प्रत्यर्थीगण / प्रार्थीगण अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेगे। अतः अपील को मियाद में शुमार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

23. अतः निवेदन है कि अपीलार्थी/विपक्षी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील को आदेश दिनांक से प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जावे।

24. प्रत्यर्थीगण ने रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

25. पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन किया गया । प्रकरण में अप्रार्थी रेकार्ड अनुसार विधिवत तामील नहीं हुई है। तामील नहीं होने से पक्षकार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहा है। मौका रिपोर्ट की सूचना भी नहीं दी गई है। पत्रावली पर इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहा है। ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

26. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को विधिवत तामील करवाई जावे , उसके उपरान्त उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम के उद्धेश्य के अनुसार वैकल्पिक मार्ग पर विस्तृत विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9/4/26 को उपस्थित रहे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

27. निर्णय आज दिनांक 11.2.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा